**INDIA NON JUDICIAL**

## Government of Uttar Pradesh

**e-Stamp**

SUNIL KUMAR JAIN Valid-31-03-26 L.No.-51,SRE. UP14348004

| | | |
|---|---|---|
| Certificate No. | : | IN-UP77573402601844U |
| Certificate Issued Date | : | 13-Dec-2022 03:44 PM |
| Account Reference | : | NEWIMPACC (SV)/ up14348004/ SAHARANPUR SADAR/ UP-SHR |
| Unique Doc. Reference | : | SUBIN-UPUP14348004479587035063 85U |
| Purchased by | : | DR RAJENDER PRASAD MEMORIAL EDUCATION SOCIETY |
| Description of Document | : | Article 4 Affidavit |
| Property Description | : | Not Applicable |
| Consideration Price (Rs.) | : | |
| First Party | : | DR RAJENDER PRASAD MEMORIAL EDUCATION SOCIETY |
| Second Party | : | Not Applicable |
| Stamp Duty Paid By | : | DR RAJENDER PRASAD MEMORIAL EDUCATION SOCIETY |
| Stamp Duty Amount(Rs.) | : | 10 (Ten only) |

NOTARY NOTARIAL NOTARIAL

Please write or type below this line

# शपथ पत्र

हम, इन्द्र सिंह सांगवान, अध्यक्ष एवं विनोद कुमार, सचिव कमशः अध्यक्ष एवं सचिव, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मैमोरियल एजूकेशनल सोसायटी, 48बी0 देवलोक कालोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड) शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं –

1. यह कि हमारी सोसाइटी, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मैमोरियल एजूकेशनल सोसायटी द्वारा संचालित संस्था फार्मेसी कालेज सिद्धार्थनगर, ग्राम भानपुर, परगना रसूलपुर, जनपद सिद्धार्थनगर (उ0प्र0) नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तवित है।

2. यह कि, हमारी सोसाइटी के नाम ग्राम पिकौरा, परगना रसूलपुर, जनपद सिद्धार्थनगर (उ0प्र0) में गाटा संख्या 190, 205, 206क, 208क, 206ख, 208ग एवं 208ख कुल रकबा 2.7714 एकड़ एवं 1.1215 हेक्टेयर भूमि है।

V. Kumar

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 190, 205, 206क, 208क, 206ख, 208ग एवं 208ख कुल रकबा 2.7714 एकड़ एवं 1.1215 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी स्तरीय संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक 11.06.2022 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसायटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद्/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय /सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रुम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संस्थान हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसायटी द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन/परिषद् द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करुँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद् की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निणर्य अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. हम घोषणा करते है कि हमारे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना हमारी निजी जानकारी में पूर्ण रुप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरुद्ध परिषद् द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की दशा तय की जा सकती है।

हस्ताक्षर अध्यक्ष

हस्ताक्षर सचिव

ATTESTED

Advocate & Notary
Saharanpur (U.P.)

Identified by